न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 12/2025

अपीलांट	**बनाम**	**रेस्पोटेन्ट**
शक्तिपालसिंह पूर्व पटवारी, पटवार मण्डल रानीकला, हाल–पटवारी, पटवार मण्डल, मोरखा, तहसील–देसूरी जिला पाली।		जिला कलेक्टर (भू0अ0) पाली

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध जिला कलेक्टर (भू0.अ0) पाली के आदेश कमांक भू0अ0/वि0जॉ0/सीसीए/16/01 दिनांक 06.01.2020 जिसके द्वारा सीसीए 16 के तहत अपीलान्ट की एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

उपस्थितिः—

1. **अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।**
2. **विभागीय पैरोकार तहसीलदार, रानी श्री मनोहरसिंह उपस्थित।**

निर्णय

दिनांकः 23 जून,2025

1. अपीलान्ट ने यह विभागीय अपील नियम 23 राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 के तहत जिला कलेक्टर (भू0.अ0) पाली के आदेश कमांक भू0अ0/वि0जॉ0/सीसीए/16/01 दिनांक 06.01.2020 के द्वारा सीसीए 16 के तहत उनकी एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया, के विरूद्ध दिनांक 28.09.2022 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर पाली से अपील पर टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया।

3. तत्पश्चात उपस्थित अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार तहसीलदार, रानी श्री मनोहर सिंह को सुना गया। अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलार्थी पटवारी के पटवार मण्डल रानी कलां के पद पर कार्यरत रहते हुए जिला कलेक्टर, पाली ने ज्ञापन कमांक 9011 दिनांक 11.01.2016 के द्वारा अपीलान्ट को निम्न आरोप से आरोपित किया:—

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आरोप संख्या एक– आप श्री शक्तिपालसिंह, पटवारी, पटवार मण्डल, रानी कलां के पद पर पदस्थापित है। न्यायालय जिला कलेक्टर पाली के राजस्व प्रकरण संख्या 05/2011 में पारित निर्ण्य दिनांक 15.6.2015 की प्रति तहसील कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/15/962 दिनांक 14.8.2015 के द्वारा पालना हेतु आपको भिजवाई गई थी। न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में आपको तुरन्त म्यूटेशन दर्ज कर क्षेत्राधिकारी से निर्णय करवाना जाना चाहिये था। आपने एक माह तक बिना कार्यवाही व पालना के उक्त पत्र को पेन्डिग रखा। एक माह पश्चात आपने प्रमाणित प्रति हेतु 15.9.2015 को आवेदन किया। आपने प्रमाणित प्रति प्राप्ति हेतु कोई प्रयास नहीं किया। आपका उद्देश्य प्रभावित काश्तकारों को लाभान्वित करने का रहा एवं प्रभावित काश्तकारों ने न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया। इस कार्यवाही से आप पदीय कर्तव्य की पालना में चूक एवं राज्यहित के प्रतिकूल कार्य किया जाना प्रमाणित होता है जिसके लिये आप दोषी है।

4. अपीलान्ट ने दौराने व्यक्तिगत सुनवाई यह कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा आरोपित आरोप का प्रत्युतर दिनांक 27.04.2016 को श्रीमान जिला कलेक्टर, पाली को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर पाली द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 9.12.2019 को व्यक्तिगत रूप से सुनने के उपरान्त आरोपित आरोप को प्रमाणित मानते हुए हस्तगत आदेश दिनांक 06.01.2020 के द्वारा अपीलार्थी की एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर पाली के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलान्ट ने यह कथन भी किया कि अपीलान्ट का स्थानान्तरण पटवार मण्डल रानीकला से पटवार मण्डल मोरखा में हो गया था। ऐसे में जिला कलेक्टर पाली के द्वारा पारित उक्त आदेश की पूर्व जानकारी नहीं थी। इस कारण जानकारी होने पर उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति का आवेदन प्रस्तुत किया गया, दिनांक 22.9.2022 को प्रमाणित नकल प्राप्त होने पर उक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी अपनी घरेलू परिस्थितियों के कारण उक्त कार्यवाही समय पर नहीं कर सका। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें।

6. अपीलान्ट के द्वारा आरोपित आरोप के विषय में पेश किये गये प्रत्युतर में यह निवेदन किया गया था कि राजस्व प्रकरण संख्या 05/2011 में पारित निर्णय दिनांक 15.8.2015 की प्रति तहसील कार्यालय रानी के पत्रांक 962 दिनांक 14.8.2015 के द्वारा अपीलान्ट को

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 21.8.2015 को प्राप्त हुई थी। तत्समय में भामाशाह नामांकन का कार्य चल रहा था और मेरे पास दो पटवार मण्डलों का कार्यभार था। श्रीमान के निर्देशानुसार मेरे द्वारा भामाशाह नामांकन कार्य में सहयोग हेतु कार्य किया गया। भामाशाह नामांकन कार्य से निवृत होने पर मेरे द्वारा उपरोक्त निर्णय की पालना हेतु राजस्व रेकर्ड/निर्णय का अवलोकन किया तो निर्णय में सेटलमेन्ट से पूर्व के खसरा नम्बर दर्ज होने से तहसील कार्यालय से मिलान क्षेत्रफल की प्रति हेतु तहसील कार्यालय में सम्पर्क किया गया। तत्समय तहसील कार्यालय में स्टाफ की कमी व कार्य की अधिकता के कारण मेरे स्वयं द्वारा रेकर्ड का निरीक्षण किये जाने से रेकर्ड की प्राप्ति में विलम्ब हुआ, जो जानबूझकर या प्रभावित काश्तकार को लाभान्वित करने का नहीं रहा है।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त प्रस्तुत जवाब में उक्त समस्त तथ्यों का उल्लेख कर जिला कलेक्टर महोदय से यह आग्रह किया गया था कि म्यूटेशन दर्ज करने में प्रार्थी के स्तर पर जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है और उक्त निर्णय से प्रभावित काश्तकारों को अनुमचित लाभ पहुंचाने की चेष्टा नहीं की गई है। फिर भी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं की जावेगी। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप से आरोपमुक्त कर विभागीय कार्यवाही समाप्त करने की कृपा करें।

8. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर, पाली ने उक्त जवाब पर कोई गौर नहीं किया गया और न ही इसमें उल्लेखित तथ्य कि तत्समय श्रीमान के निर्देशानुसार भामाशाह नामांकन कार्य में व्यस्तता, दो पटवार मण्डलों का चार्ज एवं अग्रिम गिरदावरी इत्यादि कार्यो में व्यस्तता के कारण उक्त प्रकरण में विलम्ब हुआ है। इसके अलावा तहसील कार्यालय में स्टाफ की कमी व कार्य की अधिकता के कारण, जब प्रार्थी द्वारा स्वयं के स्तर से मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्राप्त की गई है, तो ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए प्रस्तावित अनुशासनिक कार्यवाही न्यायहित में समाप्त करने योग्य थी।

9. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर, पाली द्वारा उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, रानी को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जॉच अधिकारी ने अपनी जॉच रिपोर्ट में प्रार्थी के प्रत्युतर को मध्येनजर रखते हुए भामाशाह शिविर, दो पटवार मण्डल का चार्ज, टी.आर.एस. गिरदावरी आदि राजकार्य में व्यस्तता के कारण पालना में विलम्ब होने से प्रकरण में गौर फरमाकर प्रार्थी के विरूद्ध संस्थित विभागीय जॉच कार्यवाही

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पत्रित करने का निवेदन किया था। जिला कलेक्टर पाली द्वारा उक्त समस्त तथ्यों पर विचार किये बिना अपने विवेचन में अंकित किया है कि प्रार्थी को न्यायालय आदेश की पालना करने हेतु तहसीलदार, रानी के आदेश की प्रति भिजवाई थी। कार्मिक को पटवारी होने के नाते न्यायालय के आदेश के अनुरूप नामान्तरकरण दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही हेतु नियमानुसार 07 दिवस में भू0अ0निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। कार्मिक के द्वारा 01 माह के उपरान्त नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई। जिससे जिन पक्षकारों के विरूद्ध न्यायालय में निर्णय हुआ, उन्हें अपील करने का अवसर मिल गया, जो कर्तव्य के प्रति लापरवाही व प्रभावित पक्षकारों से मिलीभगत प्रकट करता है। आरोपी कार्मिक के द्वारा दिनांक 15.9.2015 को प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन करने पर तहसील कार्यालय द्वारा दिनांक 18.9.2015 को प्रतिलिपि उपलब्ध करवा दी गई थी, अतः आरोपी द्वारा जानबूझ कर तहसील कार्यालय में प्रतिलिपि प्राप्त करने में विलम्ब किया जाना मानते हुए अपीलान्ट का प्रत्युतर स्वीकार्य नहीं होने व आरोपित आरोप प्रमाणित होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.1.2020 के द्वारा प्रार्थी की एक वेतनवद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया गया है। अतः अपील पेश कर करबद्ध निवेदन है कि उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.1.2020 को निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट की रोकी गई एक वार्षिक वेतनवृद्धि को बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

10. प्रत्युतर में दौराने बहस उपस्थित हुए विभागीय पैरोकार, तहसीलदार रानी श्री मनोहरसिंह ने जिला कलेक्टर पाली के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किये गये दण्डादेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया तथा जिला कलेक्टर पाली के द्वारा अपील पर प्रेषित टिप्पणी को ही अपनी बहस माने जाने का कथन किया गया।

11. विभागीय पैरोकार ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि अपीलान्ट को तहसील कार्यालय रानी के पत्रांक 962 दिनांक 14.8.2015 के द्वारा जिला कलेक्टर पाली न्यायालय के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 05/2011 में पारित निर्णय दिनांक 15.6.2015 की पालनार्थ प्रति भिजवाते हुए निर्णय की पालना में नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करनी चाहिये थी लेकिन अपीलान्ट ने एक माह तक बिना कार्यवाही व पालना के उक्त पत्र को लम्बित रखा। अपीलान्ट द्वारा विलम्ब करने से प्रभावित काश्तकारों ने स्थगन प्राप्त कर लिया। अपीलान्ट द्वारा उनके पास कार्य की अधिकता व स्टाफ की कमी होने के कारण पालना में

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

विलम्ब होना बताया है, जो उचित नहीं है। अपीलान्ट को चाहिये था कि वे निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु समय रहते हुए प्रमाणित प्रति प्राप्त कर लेते, अपीलान्ट द्वारा जानबूझ कर विलम्ब करना प्रमाणित होता है। जिला कलेक्टर पाली ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट के प्रत्युतर पर गौर किया एवं उनहें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया है।

12. विभागीय पैरोकार ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि अपीलान्ट पटवारी पर आरोपित किये गये आरोप के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, रानी से विभागीय जॉच करवाई गई थी जिसमें जॉच अधिकारी के द्वारा अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्युतर के अनुसार प्रकरण में गौर फरमाकर कार्यवाही पत्रित करने का निवेदन किया है। उक्त जॉच अधिकारी की जॉच रिपोर्ट से सहमत होना अनुशासनात्मक अधिकारी के लिये आवश्यक नहीं होता है। ऐसे में जिला कलेक्टर पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.1.2020 को यथावत रखते हुए अपीलान्ट की अपील को खारिज फरमाया जावें।

13. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा दौराने बहस प्रकट किये गये तथ्यों पर गहनता से चिंतन व मनन किया तथा अपील, अपील पर प्रेषित टिप्पणी, जिला कलेक्टर, पाली की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया, जिससे यह पाया गया कि जिला कलेक्टर पाली के द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत विभागीय जॉच कार्यवाही सम्पादित किये जाने तथा अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

14. अपीलान्ट पर आरोपित किये गये आरोप कि "जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 05/2011 में पारित निर्णय दिनांक 15.6.2015 की अनुपालना किये जाने हेतु निर्णय की प्रति दिनांक 14.8.2015 को प्राप्त कर लिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय के निर्णय की पालना को एक माह तक बिना कार्यवाही के पेण्डिंग रखा एवं प्रभावित काश्तकार को लाभान्वित करने का उद्देश्य रहा एवं प्रभावित काश्तकारों ने न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया, अपीलान्ट के द्वारा उक्त आरोप के सम्बन्ध में इस अपील में यह उल्लेखित किया है कि उनके पास दो पटवार मण्डलों का कार्यभार था तथा भामाशाह नामांकन कार्य में सहयोग किया गया। उपरोक्त निर्णय में सेटलमेन्ट से पूर्व के खसरा नम्बर दर्ज होने से तहसील कार्यालय में मिलान क्षेत्रफल की प्रति हेतु तहसील में सम्पर्क किया गया परन्तु

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तहसील में स्टाफ की कमी व कार्य की अधिकता के कारण रेकर्ड की प्राप्ति में विलम्ब हुआ है, जो जानबूझ कर या प्रभावित काश्तकार को लाभान्वित करने का नहीं रहा है।

15. न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा उपरोक्त राजस्व विविध प्रकरण में आवंटी के पक्ष में दिनांक 18.8.1958 को हुए भूमि आवंटन को आवंटी/प्रार्थी के आवंटन के समय नाबालिग होने के आधार पर निर्णय दिनांक 15.6.2015 के द्वारा निरस्त करते हुए भूमि को राज्यहित में लेकर राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है।

16. अपीलान्ट को जब जिला कलेक्टर न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.6.2015 की प्रति तहसीलदार, रानी के पत्रांक 962 दिनांक 14.8.2015 के मार्फत दिनांक 21.8.2015 को ही प्राप्त हो गई थी तो अपीलान्ट को चाहिये था कि वे प्रकरण मे निर्णय की पालना में कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु तहसीलदार, रानी से तत्समय ही मार्गदर्शन प्राप्त कर राजस्व रेकर्ड में माफिक निर्णय अनुसार वादग्रस्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने की कार्यवाही निष्पादित करते परन्तु अपीलान्ट के द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं कर एक माह पश्चात दिनांक 15.09.2015 को अपने स्तर पर ही उल्लेखित निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट के द्वारा वादग्रस्त भूमि के प्रभावित पक्षकार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पक्षकार को स्थगन प्राप्त करने हेतु समय उपलब्ध करवा दिया गया जिससे पक्षकार को स्थगन प्राप्त हो गया। अपीलान्ट के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों में निष्पक्षता नहीं बरतते हुए अनैतिक कृत्य किया गया है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने एवं दस्तावेजों का गहनता से गौर किये जाने के उपरान्त जिला कलेक्टर, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2020 में किसी प्रकार की विधि की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है तथा अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

17. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2020 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 23 जून,2025 को सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर